दिनांक-05.12.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

अवैध रूप से निर्माण किए गए बाउंड्री वाल पर लगातार तीसरे दिन भी निगम ने की कार्यवाही

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के बाबादीप सिंह नगर क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से बाउंड्री वाल निर्माण कर प्लाटिंग किए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर जोन क्रमांक 2 क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बाबादीप सिंह नगर में अनाधिकृत रूप से सीमेंट पोल व प्रीकास्ट वाल से निर्माण किए गए बाउंड्री , मार्ग संरचना को जेसीबी से ढहाया गया। मौके से 4 हाइवा मुरम भी जप्त किया गया। निगम भिलाई द्वारा अवैध निर्माण, अवैध रूप से प्लाटिंग पर लगाम कसने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इसके पूर्व भी कुरूद क्षेत्र और शांतिनगर में पटवारी बाड़ी के पास के इसी प्रकार की अवैध प्लाटिंग व अवैध निर्माण करने वालों पर कार्यवाही की गई थी। निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने अवैध प्लाटिंग, अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश समस्त जोन आयुक्तों को दिए हैं जिस पर जोन आयुक्त जोन क्रमांक 02 सुनील अग्रहरि द्वारा आज बाबा दीप सिंह नगर क्षेत्र में अवैध रूप से किए गए बाउंड्री वाल निर्माण पर कार्यवाही की गई है। निगम का अमला छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 37 के विभिन्न उप नियमों के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 308 के तहत बाबादीप सिंह नगर क्षेत्र में अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण को रोकथाम करने निगम के अधिकारी/कर्मचारी , उड़नदस्ता टीम तथा तोड़फोड़ दस्ता के साथ पहुंचे और बाउंड्रीवाल को तोड़कर निर्माण सामग्री मूरूम जप्त किया गया। बाबादीप सिंह नगर में अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और कार्यवाही प्रारंभ कर रहे थे कि इस दौरान मौके पर उपस्थित कुछ लोगों ने निगम के जेसीबी वाहन के सामने खड़े होकर शासकीय कार्य में बाधा डालने की कोशिश की जिस पर पंचनामा तैयार कर कार्यवाही विवरण के संबंध में गवाहों के हस्ताक्षर लिए गए है।

जनसम्पर्क अधिकारी